



2026:AHC-LKO:20430

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. – 2017/2026

राकेश उर्फ बुद्धू

....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से

... विरोधी पक्ष (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : विजयेंद्र प्रकाश त्रिपाठी, चैतन्य तिवारीविरोधी पक्ष (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 13**माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विजयेंद्र प्रकाश त्रिपाठी और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विनय कुमार शाही को सुना गया; जिन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में निर्देश प्राप्त हैं और वे वाद के गुण-दोष पर बहस करने के लिए तैयार हैं।



2. यह वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट/मुकदमा अपराध संख्या 0253/2022, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366, 376डी, 120-बी के अंतर्गत, पुलिस थाना - हैदरगंज, जिला - अयोध्या में जमानत की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।
3. इस आवेदन पर जोर देते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में जैसा बताया गया है, अभियोजन पक्ष का वाद पूरी तरह से झूठा, मनगढ़ंत और बनावटी है।
5. इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट/मुकदमा अपराध संख्या 0253/2022, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366, 376डी, 120-बी के अंतर्गत, पुलिस थाना - हैदरगंज, जिला - अयोध्या में दिनांक 05.12.2022 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार जिसके संबंध में आवेदक, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, दिनांक 10.08.2023 से जेल में है सह-अभियुक्त शिव चंद पुत्र बाबू लाल ने दिनांक 27.11.2022 को शिकायतकर्ता की लगभग 20 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा लिया था। आवेदक, सह-अभियुक्त शिव चंद का सगा भाई है।
6. इसके अलावा यह भी निवेदन है कि पीड़िता/अभियोक्त्री के बरामद होने के बाद, जांच अधिकारी (संक्षेप में "आईओ") द्वारा पीड़िता का बयान दर्ज किया गया था; और इस

जमानत आवेदन के साथ अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न पीड़िता/अभियोक्त्री के बयान की प्रति से यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता/अभियोक्त्री ने वर्तमान आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया था, और यदि कोई आरोप लगाया भी गया था, तो वह सह-अभियुक्त शिव चंद के विरुद्ध था।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा कि पीड़िता ने संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत अपना बयान देते समय, आवेदक और सह-अभियुक्त शिव चंद जो आवेदक का सगा भाई है पर आरोप लगाकर अपनी कहानी में कुछ बातें जोड़ दीं।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि आवेदक पर लगाए गए आरोप दूर्भावनापूर्ण उद्देश्य से लगाए गए थे, जिसमें आवेदक और उसके परिवार वालों को परेशान करने का उद्देश्य भी शामिल था।

9. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि वास्तव में सह-अभियुक्त शिव चंद और पीड़िता के मध्य प्रेम-संबंध थे, और इसलिए पीड़िता अपनी मर्जी से अपना घर छोड़कर सह-अभियुक्त शिव चंद के साथ चली गई थी, इसके बाद ही यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पीड़िता के मिल जाने पर उसे उसके माता-पिता की अभिरक्षा में सौंप दिया गया, और तब उसने अपने परिवार वालों के दबाव में आकर सह-अभियुक्त शिव चंद और इस आवेदक पर आरोप लगाए।

10. इसी क्रम में, यह भी कहा गया है कि इस ज़मानत आवेदन के साथ अनुलग्नक सं. 8 के तौर पर लगाए गए पीड़िता (अभियोजन साक्षी-2) और शिकायतकर्ता/सूचनादाता (अभियोजन साक्षी -1) के बयानों के अवलोकन से यह पता चलता है कि वह कोई सच्चा या विश्वसनीय साक्षी नहीं है। इस बात को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष दर्ज कराए गए पीड़ित। (अभियोजन साक्षी -2) के बयान के अनुसार, उसने पुलिस के समक्ष सही बयान दिया था। विचारण न्यायालय के समक्ष दिए गए पीड़ित। के बयान के अनुसार, उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष जो बयान दिया था, वह किसी के सिखाए-पढ़ाए अनुसार दिया गया था।

11. इसके बाद यह कहा गया है कि इस वाद के मुख्य साक्षियों सूचनादाता और पीड़िता के बयान विचारण न्यायालय में पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं; इसलिए, अगर आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह साक्षियों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता।

12. आगे यह भी कहा गया है कि सह-अभियुक्त शिव चंद, जिसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है, को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2023 के आदेश के अंतर्गत, जो जमानत आवेदन संख्या 1922/2023 में पारित किया गया था, जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

13. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह दलील दी कि आवेदक ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह उन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सके जो पहले से ही विचारण न्यायालय के समक्ष उपलब्ध हैं।

14. अंत में, यह निवेदन किया जाता है कि वाद के तथ्यों और दिनांक 10.08.2023 से जेल में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए, साथ ही इस बात को भी कि वाद के मुख्य साक्षियों की जाँच विचारण न्यायालय के समक्ष पहले ही हो चुकी है, और यह भी कि आवेदक साक्षियों को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं है, तथा सह-अभियुक्त शिव चंद, जिसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है, को विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

15. इन परिस्थितियों में, आवेदक, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जो दिनांक 10.08.2023 से जेल में निरुद्ध है, जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विचारण में सहयोग करेगा, और अभियोजन पक्ष के साक्षियों को भी प्रभावित नहीं करेगा।

16. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के इस निवेदन का विरोध किया है। यद्यपि, वह आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दी गई उपरोक्त दलीलों का खंडन नहीं कर सके।

17. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, तथा आवेदन, प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की सामग्री का अवलोकन करने के बाद, साथ ही दिनांक 10.08.2023 से जेल में बिताई गई अवधि, इस तथ्य कि मामले के मुख्य साक्षियों की जाँच विचारण न्यायालय के समक्ष में पहले ही हो चुकी है, यह तथ्य कि आवेदक साक्षियों को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं है, और इस बात कि सह-अभियुक्त शिव चंद (जिसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है) को विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, तथा इस बात कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, और वाद के गुण-दोष में जाए बिना, यह न्यायालय इस मत पर पहुँचा है कि इस आवेदन में सार है, और तदनुसार, इसे स्वीकार किया जाता है।

18. आवेदक - **राकेश उर्फ बुद्धू** को, उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में, 25,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो विश्वसनीय जमानतदार (जिनमें से एक परिवार का सदस्य/निकट संबंधी होना चाहिए) उसी राशि के, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i) आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
- (ii) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा धमकाएगा नहीं।
- (iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।
- (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष बताने से रोका जा सके, या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक निर्धारित तिथि पर, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा।
- (vii) आवेदक साक्ष्य पेश करने के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, स्थगन की कोई मांग नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(viii) आवेदक, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज कराने के लिए निर्धारित तिथियों पर, स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

19. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और विधि के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

20. चूंकि यह आदेश आवेदक को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

20 मार्च, 2026

एमएल/